प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 679 /2024

श्री हयात ताविल शाही पिता सैयद मतीनुलहक,41 वर्ष , निवासी इस्लामपुर, पोस्ट–मखदुमपुर, जिला–बोकारो (झारखंड)

---याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. सुमैया खातून पति हयात तविल शाही , पिता हाफ़िज़ फ़िरोज़ अहमदलगभग 30 वर्ष , निवासी स्टेट बैंक, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु:––श्री डी. एन. प्रजापति, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु:––श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

08/04/2025

1. वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(4) सहपठित दं. प्र. सं. कि धारा 397 एवं 401 के तहत विद्वान पारिवारिक न्यायालय, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा एमसीआरसी क्रमांक 170/2021 में पारित दिनांक 10.05.2024 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है,जिसके तहत उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में भरण–पोषण राशि के रूप में 20,000/– रुपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की गई है, जो आवेदन की तिथि अर्थात 20.12.2021 से देय है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षों के बीच विवाह 30.09.2015 को मनेन्द्रगढ़ में उनके रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाह के बाद, उत्तरवादी /पत्नी गांव इस्लामपुर में अपने ससुराल में रहने लगी।विवाह के समय उत्तरवादी/पत्नी के माता–पिता ने उसे पर्याप्त दहेज दिया था। यह अभिकथित किया जाता है कि उत्तरवादी /पत्नी को याचिकाकर्ता/पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के लिए परेशान किया जा रहा था और उसके बाद किसी न किसी कारण से पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। याचिकाकर्ता/पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पुणे में नौकरी करता था। उसने अपनी पहली पत्नी से विवाह–विच्छेद कर लिया था। वह नियमित रूप से उत्तरवादी /पत्नी से पैसे लेता था। उसने 10 लाख रुपये की सावधि जमा को भुनाने के लिए भी दबाव डाला और उससे पैसे की मांग की।दिनांक 27.07.2016 को वह बोकारो गई थी, लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे पैसे की मांग करने लगे। उत्तरवादी /पत्नी के साथ उनके व्यवहार को देखते हुए उसके पिता उसे वापस अपने घर ले गए, जहां उत्तरवादी /पत्नी ने याचिकाकर्ता/पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भा.दं. सं. की की धारा 498–ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।दिनांक 20.12.2021 को उत्तरवादी /पत्नी ने याचिकाकर्ता/पति से 30,000/– रुपये मासिक भरण–पोषण राशि दिलाने के लिए दं. प्र. सं. की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता/पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए उत्पीड़न के कारण वह पृथक रहने को विवश है। उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह एक गृहिणी है।वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि याचिकाकर्ता/पति हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और उसका वेतन 1,25,000/– रुपये प्रति माह है और इसलिए, उसने भरण–पोषण राशि के रूप में 30,000/– रुपये प्रति माह का दावा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी/पत्नी द्वारा दायर आवेदन का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता/पति ने अपने जवाब में कहा है कि विवाह के बाद, उत्तरवादी/पत्नी केवल 15–20 दिनों के लिए अपने वैवाहिक घर में रही और उसके बाद, वह अपने माता–पिता के घर वापस चली गई।उत्तरवादी/पत्नी के माता–पिता द्वारा जो भी वस्तुएं दी गई हैं, वे उन्होंने विवाह के समय उपहार स्वरूप दी हैं।विवाह के समय उत्तरवादी/पत्नी को जो स्वर्ण आभूषण मिले थे, वे अभी भी उसके पास हैं।चूंकि याचिकाकर्ता/पति के भाई के विवाह समारोह के बाद याचिकाकर्ता/पति की माता मेदांता अस्पताल, रांची में भर्ती थीं, इसलिए वे उनकी देखभाल के लिए रांची वापस आ गए।चूंकि परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से रहते थे, इसलिए सभी घरेलू काम भी परिवार के सदस्यों द्वारा ही किए जाते थे। उत्तरवादी/पत्नी संयुक्त परिवार में याचिकाकर्ता/पति के साथ रहने में रुचि नहीं रखती थी और अलगाव का आधार बनाने के लिए उसने खुलासा किया कि उसे अपने ससुराल घर में जलने की चोटें आईं, जबकि खाना बनाते समय गर्म तेल के कारण छोटे–छोटे छाले बन गए थे।याचिकाकर्ता/पति ने उसे खुश रखने का प्रयास किया था और अपने पर्यटन पर बड़ी रकम खर्च की थी। उसने उसे अपने निजी खर्चों के लिए भी बहुत पैसा

दिया था। याचिकाकर्ता/पति ने मौद्रिक सलाहकार कंपनी में राशि का निवेश किया था, जिससे उत्तरवादी/पत्नी को 2019 तक नियमित रूप से लाभांश मिल रहा था और उसके बाद उक्त कंपनी जमाकर्ताओं को कोई राशि दिए बिना बंद हो गई।यह भी कहा गया है कि उत्तरवादी/पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है और उसने या उसके परिवार के सदस्यों ने कभी भी किसी भी कारण से उसके साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं किया है। यदि उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया होता, तो उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। याचिकाकर्ता/पति या उसके परिवार के सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उत्तरवादी/पत्नी के पास 10 लाख रुपये की सावधि जमा है। उत्तरवादी/पत्नी ने उस पर अपने माता–पिता के घर मनेंद्रगढ़ में रहने के लिए दबाव डाला है।यह भी कहा गया है कि दिनांक 09.05.2016 को जब वह अपने पिता के साथ जा रही थी, तो प्रत्यर्थी/पत्नी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह 15–20 दिन बाद वापस आ जाएगी।याचिकाकर्ता/पति द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद प्रत्यर्थी/पत्नी दिनांक 27.07.2016 को अपने माता–पिता के साथ उसके पास आई।उस समय याचिकाकर्ता/पति की नौकरी चली गई थी और तब उत्तरवादी/पत्नी के माता–पिता ने उस पर मनेन्द्रगढ़ आकर बसने का आग्रह किया था।उत्तरवादी/पत्नी और उसके माता–पिता ने उस पर लगातार मनेन्द्रगढ़ में बसने का दबाव बनाया और जब उसने इसके लिए मना कर दिया, तो उत्तरवादी/पत्नी ने भा.दं. सं. की धारा 498–ए, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता/पति ने मामले को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उत्तरवादी /पत्नी ने वर्ष 2016 में अपना बैंक खाता भी पुणे से मनेन्द्रगढ़/चिरमिरी में स्थानांतरित करवा लिया है।उत्तरवादी /पत्नी एक फैशन डिजाइनर है और अपनी नौकरी से प्रति माह 10,000/– रुपये से अधिक कमाती है। वह अपनी माता की राइस मिल में भी काम करती है, जहाँ से वह प्रति माह 40,000/– रुपये कमाती है। 2019 तक, उसे मौद्रिक सलाहकार कंपनी से लाभांश के रूप में प्रति माह 10,000/– रुपये मिलते थे। उत्तरवादी /पत्नी की आय और वित्तीय क्षमता को छिपाकर, उसने मासिक भरण–पोषण राशि के अनुदान के लिए आवेदन दायर किया है।याचिकाकर्ता/पति पर अपने वृद्ध माता–पिता और अविवाहित बहन और भाई की जिम्मेदारी है। वह हैदराबाद में किराए के मकान में रह रहा है और उसे अपनी घरेलू जरूरतों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। उसे अपने माता–पिता के इलाज पर नियमित रूप से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। उत्तरवादी /पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के और अपनी मर्जी से अलग रह रही है।याचिकाकर्ता/पति ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, के लिए बोकारो न्यायालय में आवेदन दायर किया था, लेकिन उत्तरवादी /पत्नी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो रही थी। उत्तरवादी /पत्नी अपनी आजीविका कमाने में सक्षम है और 50,000/– रुपये प्रति माह से अधिक कमाती है, इसलिए, वह किसी भी भरण–पोषण की हकदार नहीं है और उसका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

5. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने विवाद्यक निर्धारित किए हैं और पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, 10.05.2024 को आदेश पारित किया और उत्तरवादी /पत्नी को भरण–पोषण राशि के रूप में 20,000/– रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया।भरण–पोषण की राशि आवेदन की तिथि अर्थात 20.12.2021 से देय होगी। भरण–पोषण का उक्त आदेश वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण में चुनौती के अधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता/पति के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने में त्रुटि की है। उन्हें यह विचार करना चाहिए था कि उत्तरवादी /पत्नी ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रकट नहीं किए हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरवादी /पत्नी ने स्वयं ही विद्वान पारिवारिक न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ के समक्ष तलाक याचिका दायर की थी तथा याचिकाकर्ता/पति से तलाक की डिक्री प्राप्त की थी, जो स्वयं दर्शाता है कि वह स्वयं याचिकाकर्ता/पति के साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं थी।विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने यह नहीं माना कि उत्तरवादी /पत्नी ने अपनी आय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, जिसे उसने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है। उत्तरवादी /पत्नी के माता–पिता चावल मिल चलाते हैं और उनके पास अचल संपत्ति भी है तथा उनके भरण–पोषण के लिए आय का पर्याप्त स्रोत है। उसने अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल किया है, लेकिन उसे विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए, वह याचिकाकर्ता/पति से कोई भरण–पोषण पाने की हकदार नहीं है।उत्तरवादी /पत्नी के साक्ष्य से, कोई क्रूरता नहीं पाई गई है क्योंकि याचिकाकर्ता/पति और उसके परिवार के सदस्यों को आईपीसी की धारा 498–ए/34 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है। उत्तरवादी/पत्नी के पास फैशन डिजाइनिंग की पेशेवर योग्यता है और वह अपने लिए पर्याप्त कमाई करती है। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरवादी/पत्नी की कमाई करने की क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया है और भरण–पोषण की मात्रा का आकलन करने में त्रुटि की है। उत्तरवादी/पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से पृथक रह रही है और अपने लिए पर्याप्त कमाई कर रही है, इसलिए, वह किसी भी भरण–पोषण की हकदार नहीं है।याचिकाकर्ता/पति ने अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बोकारो में एक आवेदन भी दायर किया, इसके बावजूद कि उत्तरवादी /पत्नी याचिकाकर्ता/पति की कंपनी में शामिल नहीं हुई और उसने विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त की, इसलिए, आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी /पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता/पति के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है।उत्तरवादी /पत्नी को दहेज की मांग के लिए याचिकाकर्ता/पति द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा और साथ ही उस पर सावधि जमा को भुनाने के लिए दबाव डाला गया।जब क्रूरता असहनीय हो गई, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर भा.दं. सं. की धारा 498–ए के तहत याचिकाकर्ता/पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता/पति के विरुद्ध लगाए गए अपराध से भले ही दोषमुक्त कर दिया जाए, लेकिन उत्तरवादी/पत्नी ने अपने मामले का विधिवत समर्थन किया है। पति/याचिकाकर्ता द्वारा की गई क्रूरता के कारण उत्तरवादी/पत्नी को हुई क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का आदेश भी दिया गया। मामले में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।उसने अपने साक्ष्य में बताया कि उसके पिता ने उसके नाम पर आयकर रिटर्न भी जमा किया था और चावल मिल का स्वामित्व उसके माता–पिता के पास है।

याचिकाकर्ता/पति ने ही मौद्रिक सलाहकार कंपनी में कुछ पैसा निवेश किया था, जिससे उत्तरवादी/पत्नी को कुछ लाभांश प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में उक्त कंपनी ने अपने जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की और भाग गई।10 लाख रुपए की राशि, जो सावधि जमा में रखी गई थी, वह भी उसके माता–पिता के पैसे थे, जिसे उसके माता–पिता के खाते में जमा कर दिया गया था।याचिकाकर्ता/पति के साथ रहते हुए, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन पक्षों के बीच विवाद के कारण, वह अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकी। उत्तरवादी/पत्नी की आय का कोई साधन नहीं है और वह अपने माता–पिता पर निर्भर है।यहाँ तक कि जब उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, तब भी वह उससे भरण–पोषण पाने की हकदार है।उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता/पति का यह विधिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करे और उसे मानसिक और आर्थिक रूप से उचित सहायता प्रदान करे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में 20,000/– रुपये की मासिक भरण–पोषण राशि मंजूर की है, जो न तो प्रतिकूल है और न ही मामले के अभिलेख के विपरीत है और उसका पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या उत्तरवादी/पत्नी के पास अपने पति से पृथक रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.उत्तरवादी /पत्नी (एडब्ल्यू–1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह के समय उसके माता–पिता ने उसके नाम पर 10 लाख रुपए फिक्स डिपोजिट में जमा करवाए थे। उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर यह रकम अपने खाते में जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा था।अक्टूबर 2015 में उसका पति उसे ससुराल में छोड़कर नौकरी के लिए पुणे चला गया था। उसकी सास और ननद उसे दहेज के मुद्दे पर अक्सर चिढ़ाती रहती थीं और अपने माता–पिता से और दहेज लाने के लिए कहती थीं, यहां तक कि उन्होंने उचित चिकित्सा उपचार भी नहीं कराया, जब उसके अंगूठे पर जलने के निशान थे। उसने अपने माता–पिता को बुलाया और मनेंद्रगढ़ जाकर वहां से इलाज करवाया। इसके बाद वह अपने पति के पास पुणे चली गई, जहां भी पति ने 10 लाख रुपये की सावधि जमा राशि को भुनाने के लिए उस पर दबाव डाला।उस समय उसकाव्यवहार बहुत ही अभद्र था तथा वह उसे तरह–तरह के ताने भी देता था।आवेदिका/पति द्वारा उससे पैसे की मांग की गई तथा उसके माता–पिता से पैसे लाने को कहा गया तथा जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने उसके साथ मारपीट की।दिनांक 27.07.2016 को भी वह बोकारो गई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के व्यवहार को देखते हुए उसके माता–पिता उसे वापस मनेन्द्रगढ़ ले आए तथा उसके बाद विभिन्न प्रयासों के बाद दिनांक 29.01.2017 को उसकी रिपोर्ट एफआईआर में दर्ज की गई। वह मई 2016 से अपने माता–पिता के साथ रह रही है तथा अपने माता–पिता के घर रहने के दौरान, याचिकाकर्ता/पति ने न तो उसकी कोई देखभाल की और न ही कोई भरण–पोषण राशि प्रदान की।वह फैशन डिजाइनिंग की छात्रा है और याचिकाकर्ता/पति हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मासिक आय 1,25,000 रुपये है और

उसे भरण–पोषण के लिए प्रति माह 30,000 रुपये की राशि की आवश्यकता है। प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि उसने याचिकाकर्ता/पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें उसने अभिकथित है कि याचिकाकर्ता/पति ने उससे 10 लाख रुपये की मांग की है।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने दहेज की मांग के लिए क्रूरता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता/पति ने 5 लाख रुपये की मांग की है। उसने आगे स्वीकार किया कि दोनों मामलों में, उसने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता/पति ने उसके घर आने के बाद 5 लाख रुपये की मांग की। उसने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में, उसने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता/पति ने 10 लाख रुपये की मांग की। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। उसने आगे स्वीकार किया कि दहेज मामले की रिपोर्ट दर्ज करने से पहले, 10 लाख रुपये की सावधि जमा पहले ही भुनाई जा चुकी है, जिसे उसकी माता के खाते में जमा कर दिया गया था।उसने बताया कि जब वह अपने ससुराल में रह रही थी, तब उसके ससुराल वालों और पति ने उस पर सावधि जमा राशि को भुनाने के लिए दबाव बनाया। चूंकि दहेज मामले में उससे यह नहीं मांगा गया था, इसलिए उसने अपने बयान में इसका खुलासा नहीं किया है। उसने आगे बताया कि 05.08.2016 को उसने मनेन्द्रगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उसने इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और फैशन डिजाइनिंग पेशे से कमाई कर रही है। उसने स्वीकार किया कि पहले भी उसने भरण–पोषण राशि के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि वह फैशन डिजाइनिंग कोर्स की छात्रा है।कोविड–19 महामारी के कारण, वह अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकी और उसके बाद एक दुर्घटना में घायल हो गई और अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा नहीं कर सकी।वह मार्च 2022 के महीने में फिर से शामिल हुई।जब उनसे पूछा गया कि शपथ पत्र में उन्होंने अपनी आय के बारे में खुलासा नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी कोई आय ही नहीं है, तो उनकी आय के बारे में किसी भी प्रकटीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है।उन्होंने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा कि उनकी मां ने वर्ष 2017 में भोपाल में राइस मिल खोली थी और राइस मिल में भारी घाटा होने के कारण उसे बंद कर दिया गया है।उन्होंने स्वीकार किया कि उनका आयकर रिटर्न उनके पिता द्वारा भरा जाता है।उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने पूरे बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है।उन्होंने आगे कहा कि उनके बैंक खाते का उपयोग उनके पिता द्वारा अपने व्यवसाय में किया जा रहा था और इसलिए, वे उनके नाम से आयकर रिटर्न भरते थे। उसने इस बात से भी इंकार किया कि वह स्वयं बोकारो स्थित अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। याचिकाकर्ता/पति ने कभी भी उसे अपने साथ रखने का प्रयास नहीं किया अथवा समझौते के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।यहां तक कि उसने उससे या उसके माता–पिता से भी संपर्क नहीं किया है। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता/पति ने बोकारो में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन दायर किया था और एक–दो मौकों के बाद, वह वहां उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वह अकेले बोकारो जाने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके पिता और भाई उस समय भोपाल में थे। उसने स्वीकार किया कि वह पिछले 06 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अगस्त 2016 के महीने में, उसने अपना बैंक खाता पुणे से मनेन्द्रगढ़ में स्थानांतरित करवा लिया है।उसने इस बात से अनभिज्ञता जताई कि उसके पति ने उसके नाम पर आईएमए कंपनी में 2 लाख रुपए जमा किए हैं। फिक्स डिपॉज़िट को भुनाने और दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न के कारण उनके बीच विवाद हुआ। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके पति ने मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया।उसने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि उसका किसी अन्य लड़के से प्रेम संबंध था तथा वह उससे व्हाट्सएप चैटिंग करती थी, इस कारण वह मनेन्द्रगढ़ में रहना चाहती थी।

11. याचिकाकर्ता/पति ने अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह के कुछ समय पश्चात उसने अपनी पत्नी को उसके ससुराल में छोड़ दिया तथा पुणे में अपनी नौकरी पर चला गया।उसकी मां के पैर की सर्जरी हुई थी तथा उसे देखभाल की आवश्यकता थी, लेकिन उत्तरवादी/पत्नी अपनी मां की देखभाल के लिए वहां रहने को तैयार नहीं थी तथा वह 26.10.2015 को अपने माता–पिता के साथ वापस लौट आई।वह 20.11.2015 को पुणे आई।वे किसी अवसर पर बोकारो जाते थे तथा दुर्भाग्यवश अप्रैल 2016 में कंपनी में छंटनी के कारण याचिकाकर्ता/पति की नौकरी चली गई तथा उस समय उसकी पत्नी अपने माता–पिता के घर वापस चली गई। उत्तरवादी/पत्नी विवाह से पहले ही अपनी मां की चावल मिल में काम कर रही थी। उन्होंने उसे अपने घर में घर–जमाई के रूप में रखने की प्रयास किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वापस बोकारो लौट आया। 27.07.2016 को, उनके बुलाने पर, उत्तरवादी/पत्नी और उसके माता–पिता बोकारो आए और फिर से मनेन्द्रगढ़ आकर बसने पर जोर दिया। इसके बाद, उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बोकारो में एक आवेदन दिया।जब उत्तरवादी/पत्नी और उसके माता–पिता को बोकारो में कार्यवाही के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि वह प्रकरण वापस नहीं लेगा, तो वे उसे दहेज के झूठे मामले में फंसा देंगे और जब उसने अपना प्रकरण वापस नहीं लिया, तो प्रतिवादी/पत्नी ने भा.दं. सं. की धारा 498–ए के तहत अपराध के लिए मनेंद्रगढ़ में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।बोकारो में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, उत्तरवादी /पत्नी उपस्थित नहीं हुई और चूंकि दहेज का प्रकरण भी पंजीकृत है, इसलिए याचिकाकर्ता/पति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में पारिवारिक न्यायालय, बोकारो में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।उन्होंने आगे कहा कि जब उत्तरवादी /पत्नी उनके साथ रह रही थी, तो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर उसके खाते में पैसे हस्तांतरित किए।जब उनकी नौकरी चली गई, तो उन्हें अपनी कंपनी से कुछ पैसे मिले, जिसे उन्होंने आईएमए कंपनी में निवेश किया, जिससे उत्तरवादी /पत्नी के बैंक खाते में प्रति माह 10,000 रुपये लाभांश के रूप में आने लगे।उत्तरवादी /पत्नी ने अगस्त 2016 में अपना बैंक खाता पुणे से मनेंद्रगढ़ स्थानांतरित करवा लिया।उसने भोपाल से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया है और वह मनेंद्रगढ़ में राइस मिल का प्रबंधन कर रही है, जहाँ से वह प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमा रही है। वह हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और कटौती के बाद, उसे प्रति माह 96,000 रुपये मिल रहे हैं। अपने बचाव के समर्थन में, उन्होंने दस्तावेजों (प्रदर्श डी–1 से डी–21) पर भरोसा किया। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तरवादी /पत्नी उनकी दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी से विवाह–विच्छेद हो गया है।उसने स्वीकार किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि उसकी पहली पत्नी ने भी वर्ष 2021 में दक्षिण–पूर्वी दिल्ली में उत्पीड़न हेतु परिवाद दर्ज कराई थी।उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पिता बोकारो स्टील प्लांट के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तथा बोकारो में उनका अपना घर है।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने दहेज की मांग या किसी अन्य कारण से उत्तरवादी /पत्नी को धमकाया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों ने उत्तरवादी /पत्नी पर 10 लाख रुपये की सावधि जमा को भुनाने के लिए दबाव डाला था।उन्होंने उत्तरवादी /पत्नी के साथ उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई क्रूरता और उत्पीड़न के बारे में हर सुझाव से इनकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि मनेंद्रगढ़ में चावल मिल उत्तरवादी /पत्नी के माता–पिता के स्वामित्व में है। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वर्ष 2017 में भोपाल में खोली गई चावल मिल वर्तमान में बंद है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी मां के इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है।उनका सकल वेतन 1,21,000/– रुपये प्रति माह है।उन्होंने स्वीकार किया कि चूंकि दहेज का प्रकरण लंबित था, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ वापस लाने की प्रयास नहीं की थी।आवेदन (प्रदर्श डी–14) का अंतिम परिणाम क्या है, उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इन दो साक्षीयों अर्थात याचिकाकर्ता/पति (एनएडब्लू–1) और उत्तरवादी /पत्नी (एडब्लू–1) के अलावा, पक्षों द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।वैवाहिक जीवन के दौरान उनके कार्य और आचरण के संबंध में एक–दूसरे के खिलाफ आरोप–प्रत्यारोप हैं। वर्तमान मामले में उनके विवाह और उत्तरवादी /पत्नी द्वारा प्राप्त तलाक का आदेश विवाद में नहीं है। पक्षों के साक्ष्य के अवलोकन से यह पता चलता है कि जब उत्तरवादी /पत्नी याचिकाकर्ता/पति के साथ पुणे में रह रही थी, तब उनके बीच झगड़ा हुआ था और उत्तरवादी/पत्नी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता/पति ने उससे पैसे की मांग की और सावधि जमा को भुनाने के लिए कहा।वह उसके साथ मारपीट करता था और फिर वह पुणे से मनेन्द्रगढ़ वापस आ गई।दिनांक 27.07.2016 को जब प्रत्यर्थी/पत्नी पुनः बोकारो गई तो उसे पुनः उसके ससुराल वालों द्वारा सावधि जमा राशि को भुनाने के लिए कहा गया तथा उनके आचरण को देखते हुए उसके पिता उसे अपने साथ मनेन्द्रगढ़ ले गए तथा अंततः दिनांक 05.08.2016 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पीड़िता अपने माता–पिता के घर पर रह रही है तथा याचिकाकर्ता/पति द्वारा उसे दिए गए उत्पीड़न के कारण अपने पति से अलग रह रही है। विवाह–विच्छेद के आदेश की एक प्रति वर्तमान अपील ज्ञापन में अनुलग्नक ए–2 के रूप में संलग्न की गई है तथा उक्त निर्णय और आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि तलाक का आदेश उत्तरवादी /पत्नी के पक्ष में इस आधार पर दिया गया था कि पति भरण–पोषण प्रदान करने में विफल रहा है तथा दो वर्षों तक उसकी उपेक्षा की है, जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2(ii) के तहत तलाक का आधार है, जिसे प्रतिवादी/पत्नी द्वारा सिद्ध किया गया है तथा क्रूरता के आधार पर उसके पक्ष में आदेश पारित किया गया है, इसलिए विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि उत्तरवादी /पत्नी के पास अपने पति से अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं, साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है तथा मैं भी उक्त निष्कर्ष से सहमत हूं।

13. दं. प्र. सं. की धारा 125 के दायरे और उद्देश्य पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'अंजू गर्ग और अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग' 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1314 के मामले में विचार किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 9 और 10 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:---

"9) सबसे पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दं. प्र. सं. की धारा 125 की कल्पना उस महिला की पीड़ा, व्यथा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी, जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे स्वयं को और बच्चों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके,जैसा कि इस न्यायालय ने भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य में देखा था।इस न्यायालय ने उक्त मामले में, पहले के निर्णय का उल्लेख देते हुए, विधि के सिद्धांत को दोहराया है कि दं. प्र. सं. कि धारा 125 के तहत कार्यवाही को न्यायालय द्वारा कैसे निराकरण किया जाना चाहिए।इसने निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया गयाः---

"दुख्तर जहां बनाम मोहम्मद फारूक में [(1987) 1 एससीसी 624:1987 एससीसी (सीआरआई) 237] न्यायालय ने कहा कि:(एससीसी पृष्ठ 631, कंडिका 16)

16. "... धारा 125 [कोड की] के तहत कार्यवाही, यह याद रखना चाहिए, संक्षिप्त प्रकृति की है और इसका उद्देश्य निराश्रित पत्नियों और बच्चों को, चाहे वे वैध हों या अवैध, शीघ्रता से भरण-पोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।"

8. विमला (के.) बनाम वीरास्वामी (के.) [(1991) 2 एस. सी. सी. 375:तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संहिता की धारा 125 के तहत मूल उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए राय दी कि :(एससीसी पृष्ठ 378,कंडिका 3)

3. " दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है।इसका उद्देश्य भटकाव तथा निर्धनता को रोकना है।यह परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े तथा आश्रय की आपूर्ति हेतु एक त्वरित उपाय प्रदान करता है।" 1 (2015) 6 एससीसी 353 17

9. कीर्तिकांत डी. वडोदरिया बनाम गुजरात राज्य [(1996) 4 एससीसी 479:1996 एससीसी (क्रि) 762] में दो न्यायाधीशों की पीठ ने संहिता की धारा 125 के पीछे प्रमुख उद्देश्य पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया---:(एससीसी पृष्ठ 489, कंडिका 15)

15. "... संहिता की धारा 125 में निहित प्रावधान के दायरे और दायरे से निपटते समय, यह ध्यान में रखना होगा कि प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य महिला, बच्चे और अशक्त माता-पिता आदि को सामाजिक न्याय देना है और उन लोगों को मजबूर करके अभाव और आवारागर्दी को रोकना है जो उन लोगों का समर्थन कर सकते हैं जो खुद का समर्थन करने में असमर्थ हैं लेकिन समर्थन के लिए नैतिक दावा करते हैं। धारा 125 के प्रावधान उन महिलाओं, बच्चों और निराश्रित माता-पिता को त्वरित उपाय प्रदान करते हैं जो संकट में हैं। धारा 125 के प्रावधानों का उद्देश्य इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना है।धारा 125 में निहित कल्याणकारी प्रावधानों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पीछे प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि पत्नी, बच्चे और माता–पिता को संकट, अभाव और भुखमरी की असहाय स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"\

10. चतुर्भुज बनाम सीता बाई [(2008) 2 एस. सी. सी. 316:[(2008) 2 एससीसी 316 :(2008) 1 एससीसी (सिविल) 547 :(2008) 1 एससीसी (क्रि) 356] में, विधिक स्थिति को दोहराते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:(एस. सी. सी. पी. 320, कंडिका 6)

6. "... दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और जैसा कि इस न्यायालय ने कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम वीना कौशल [(1978) 4 एससीसी 70:1978 एससीसी (सीआरआई) 508] में उल्लेख किया है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा सुदृढ़ किए गए अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक दायरे में आता है।इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य आवारागर्दी और दरिद्रता को रोकना है। यह परित्यक्त पत्नी को भोजन, वस्त्र और आश्रय की आपूर्ति के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है। यह एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाता है कि जब उसकी पत्नी, बच्चे और माता–पिता स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, तो उनका भरण–पोषण किया जाए।उपरोक्त स्थिति को सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य [(2005) 3 एससीसी 636 :2005 एससीसी (सीआरआई) 787] मामले में उजागर किया गया था।"11. वर्तमान में, नागेन्द्रप्पा नटीकर बनाम नीलाम्मा [(2014) 14 एससीसी 452 :(2015) 1 एससीसी (क्रि) 407 :(2015) 1 एससीसी (सिविल) 346] में कहा गया है कि यह सामाजिक विधि का एक हिस्सा है जो उस पत्नी को रखरखाव के माध्यम से संक्षिप्त और त्वरित राहत प्रदान करता है जो स्वयं और अपने बच्चों को बनाए रखने में असमर्थ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) इस न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियां इसलिए कीं क्योंकि न्यायालय ने महसूस किया कि उक्त प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने संहिता की धारा 125 के तहत प्रावधानों के उद्देश्यों और कारणों तथा उनकी भावना को समझे बिना कार्यवाही की थी।इस न्यायालय ने भी इस मामले में ऐसी ही धारणा बनाई है। पारिवारिक न्यायालय ने कानून के इस मूल सिद्धांत की अवहेलना की है कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है।यदि पति स्वस्थ है और वह अपने दायित्व से बच नहीं सकता तो उसे शारीरिक श्रम के माध्यम से भी धन अर्जित करना आवश्यक है, सिवाय इसके कि कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से स्वीकार्य आधारों पर ऐसा किया जाए।चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भरण–पोषण कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि परित्यक्त पत्नी की स्वेच्छाचारिता और अभाव को रोकना है, उसे शीघ्र उपाय द्वारा भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करना है। जैसा कि इस न्यायालय ने तय किया है, ,दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है और इसे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा सुदृढ़ किए गए अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।"

14. प्रकरण में, याचिकाकर्ता/पति ने उत्तरवादी /पत्नी से जिरह की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत कार्यवाही और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में, उत्तरवादी /पत्नी ने 5 लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया, जबकि वर्तमान मामले में, उसने 10 लाख रुपये की मांग के बारे में आरोप लगाया और इस प्रकार विभिन्न कार्यवाहियों में आरोपों में भौतिक विसंगतियां हैं, जो उत्तरवादी /पत्नी के साक्ष्य को संदिग्ध बनाती हैं।उत्तरवादी /पत्नी ने कंडिका 7 में अपने साक्ष्य में उक्त विसंगतियों को स्पष्ट किया है कि जब याचिकाकर्ता/पति की नौकरी चली गई, तो वह मनेन्द्रगढ़ आया और सावधि जमा को भुनाने के लिए कहा, जिसे उत्तरवादी /पत्नी ने अस्वीकार कर दिया और फिर, उसने उत्तरवादी /पत्नी से 5 लाख रुपये की मांग की और उसे अपने पिता से लाने के लिए कहा और इस प्रकार उसने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों में उक्त विसंगतियों को विधिवत समझाया है। यहां तक कि उक्त विसंगतियां भी मामूली प्रकृति की हैं, जिन्हें दं. प्र. सं. की धारा 125 की संक्षिप्त कार्यवाही में अलग रखा जा सकता है।

15. याचिकाकर्ता/पति द्वारा दिया गया दूसरा बचाव यह है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है और उसके खिलाफ क्रूरता साबित नहीं हुई है, इसलिए, प्रतिवादी/पत्नी किसी भी भरण–पोषण के लिए हकदार नहीं है क्योंकि वह अपने खिलाफ क्रूरता साबित नहीं कर सकी। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेंद्रगढ़ (प्रदर्श डी–15) द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता/पति को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है, भले ही याचिकाकर्ता/पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया हो, इस न्यायालय की राय में यह उत्तरवादी /पत्नी को भरण–पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **2016 एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच 7608 में दर्ज "नरेंद्र @ काला बनाम सुनीता" के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** ने कंडिका 12 में अभिनिर्धारित किया है कि:–––"

12. दहेज़ माँग प्रकरण में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बरी करना पत्नी और बच्चे को भरण–पोषण देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। इस आधार पर याचिकाकर्ता को पत्नी और बच्चे का भरण–पोषण करने के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है।वर्तमान प्रकरण का निर्णय प्रायिकताओं की प्रधानता के आधार पर किया जाना आवश्यक है तथा इसमें किसी कठोर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।"

17. याचिकाकर्ता/पति ने इस आधार पर अपने मामले का बचाव किया है कि उत्तरवादी /पत्नी ने वर्तमान मामले में अपनी आय और व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है।साक्ष्य में, उत्तरवादी /पत्नी ने स्पष्ट किया है कि उसकी विवाह के समय, उसके माता–पिता ने 10 लाख रुपये की सावधि जमा राशि दी थी, जिसे उसकी माँ के बैंक खाते में भुनाया गया है।उसका आयकर रिटर्न उसके पिता ने अपने चावल मिल के व्यवसाय के दौरान भरा था, जो आम तौर पर कर बचाने के लिए व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के परिवार में होता है।उन्होंने यह भी बताया कि कोविड–19 महामारी के कारण उनका फैशन डिजाइनिंग कोर्स अधूरा रह गया था और इसके बाद उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किया

कि भोपाल की राइस मिल वर्तमान में घाटे के कारण बंद है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता/पति द्वारा मौद्रिक सलाहकार कंपनी में जमा की गई राशि भी घाटे में चली गई है क्योंकि कंपनी स्वयं भाग गई है

18. याचिकाकर्ता/पति ने कंडिका 12 में अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि वह हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और कटौती के बाद, उसे 96,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। यद्यपि याचिकाकर्ता/पति ने कहा है कि उसके पास अपने वृद्ध पिता और छोटे भाई की जिम्मेदारी है, लेकिन वह अपनी स्थिति के अनुसार अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए भी उतना ही उत्तरदायी है।इसके अलावा, सिविल वाद क्रमांक 111–ए/2022 में, पारिवारिक न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 10.05.2024 के अपने निर्णय और डिक्री के माध्यम से उत्तरवादी /पत्नी के पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया गया है और इसे याचिकाकर्ता/पति द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता के आधार पर पारित किया गया था, जो उत्तरवादी /पत्नी के मामले को और मजबूत करता है कि उसके पास अपने पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण है क्योंकि उसके साथ उसके पति द्वारा क्रूरता की गई थी।

19. याचिकाकर्ता/पति द्वारा लिया गया एक अन्य बचाव यह है कि उत्तरवादी/पत्नी के पास फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम की व्यावसायिक योग्यता है और वह अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त राशि कमा रही है और इसलिए, वह किसी भी भरण–पोषण राशि की हकदार नहीं है।**'रजनेश बनाम नेहा' 2021 (2) एससीसी 324 के** प्रकरण **में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 78 से 84** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–––"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

78. न्यायालय के समक्ष विचारणीय कारक हैं पक्षकारों की स्थिति; पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएं; क्या आवेदक शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य है; क्या आवेदक के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है; क्या आय उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि वह अपने ससुराल में प्राप्त करती थी; क्या आवेदक अपने विवाह से पहले कार्यरत थी; क्या वह विवाह के दौरान कार्यरत थी; क्या पत्नी को परिवार के पालन–पोषण, बच्चों के पालन–पोषण और परिवार के वयस्क सदस्यों की देखभाल के लिए अपने रोजगार के अवसरों का त्याग करना पड़ा; गैर–कामकाजी पत्नी के लिए मुकदमेबाजी की उचित लागत।

79. मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन 34 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक–पत्नी के माता–पिता की वित्तीय स्थिति भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण नहीं होगी।अंतरिम भरण–पोषण का आदेश इस परिस्थिति पर सशर्त है कि दावा करने वाली पत्नी या पति के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, जो उसके भरण–पोषण के लिए पर्याप्त हो। भरण–पोषण के दावे का यह कोई उत्तर नहीं है कि पत्नी शिक्षित है और खुद का भरण–पोषण कर सकती है। न्यायालय को पक्षों की स्थिति और पति या पत्नी की अपने भरण–पोषण के लिए भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।भरण–पोषण तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर करता है; न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए विभिन्न कारकों के आधार पर भरण–पोषण के लिए दावे को आकार देना चाहिए।

80. दूसरी ओर, पति की वित्तीय क्षमता, उसकी वास्तविक आय, उसके स्वयं के भरण–पोषण के लिए उचित व्यय, तथा आश्रित परिवार के सदस्य जिनका भरण–पोषण करने के लिए वह कानून के तहत बाध्य है, देयताएं यदि कोई हों, को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, ताकि भुगतान किए जाने वाले भरण–पोषण की उचित मात्रा का निर्धारण किया जा सके।न्यायालय को पति के जीवन स्तर, साथ ही बढ़ती मुद्रास्फीति दरों और जीवन–यापन की उच्च लागतों पर उचित ध्यान देना चाहिए।वास्तव में पति की यह तर्क किया गया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसे अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है, यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है और उसके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं।

81. सभी सुसंगत कारकों के बीच एक सावधानीपूर्वक और न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए।वैवाहिक विवादों में भरण–पोषण के निर्धारण का परीक्षण उत्तरवादी की वित्तीय स्थिति तथा आवेदिका के अपने ससुराल में जीवन स्तर पर निर्भर करता है।भरण–पोषण की दी जाने वाली राशि उचित और यथार्थवादी होनी चाहिए, तथा दोनों चरम सीमाओं से बचना चाहिए, अर्थात पत्नी को दिया जाने वाला भरण–पोषण न तो इतना अधिक होना चाहिए कि वह उत्तरवादी के लिए दमनकारी और असहनीय हो जाए, न ही यह इतना कम होना चाहिए कि यह पत्नी को गरीबी की ओर ले जाए। भरण–पोषण की राशि की पर्याप्तता का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पत्नी उचित आराम से अपना भरण–पोषण कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

82. एच.ए.एम.ए. की धारा 23 भरण–पोषण की राशि निर्धारित करने के मानदंडों के संबंध में वैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एच.ए.एम.ए. की धारा 23 की उप–धारा (2) निम्नलिखित कारक प्रदान करती है जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है:

(**i**) पक्षों की स्थिति और हैसियत,

(**ii**) दावेदार की उचित आवश्यकताएं,

(**iii**) यदि याचिकाकर्ता/दावेदार अलग–अलग रह रहे हैं, तो उसका औचित्य,

(**iv**) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई आय,

(**v**) दावेदार की अपनी कमाई या किसी अन्य स्रोत से आय।

83. डी.वी. अधिनियम की धारा 20(2) में प्रावधान है कि पीड़ित महिला और/या बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर्याप्त, उचित, युक्तिसंगत और उस जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए जिसकी पीड़ित महिला अपने ससुराल में आदी थी।

84. भारत हेज बनाम श्रीमती सरोज हेगड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भरण–पोषण निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

“1. पक्षकारो की स्थिति।

2. दावेदार की उचित आवश्यकताएं।

3. दावेदार की स्वतंत्र आय और संपत्ति।

4. अनावेदक को कितने व्यक्तियों का भरण–पोषण करना है।

5. यह राशि आवेदक को वैवाहिक घर में रहने के समान जीवनशैली जीने में सहायता करनी चाहिए।

6. अनावेदक की देयताएँ, यदि कोई हों।

7. आवेदक के भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और उपचार आदि के लिए प्रावधान।

8. अनावेदक की भुगतान क्षमता।

9. जब सभी स्रोतों या सही स्रोतों का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अनावेदक की आय का अनुमान लगाते समय कुछ अनुमान लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. अनावेदक को वाद की लागत का भुगतान करना होगा।

11. दं. प्र. सं. कि धारा 125 के तहत दी गई राशि अधिनियम की धारा 24 के तहत दी गई राशि के विरुद्ध समायोज्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकरण में,आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, विशेष रूप से याचिकाकर्ता/पति की आय और उत्तरवादी /पत्नी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख पर आए साक्ष्यों के तहत उत्तरवादी /पत्नी को 20,000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण देने का आदेश पारित किया है।जब परित्यक्त पत्नी को भरण–पोषण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से उसका पालन किया जाना चाहिए।वर्तमान जीवन–यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए,उत्तरवादी/पत्नी को दी गई राशि को अत्यधिक या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है।यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आश्रित पति या पत्नी विवाह की विफलता के कारण निराश्रित या आवारागर्दी में न पड़ जाए, न कि दूसरे पति या पत्नी को दंड के रूप में।राशि की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि पत्नी उचित आराम से अपना भरण–पोषण कर सके।

21. **'सुनीता कछवाहा एवं अन्य बनाम अनिल कछवाहा' एआईआर 2015 एससी 554 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के कंडिका 8 में कहा है कि:–––"**

"8. दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त है। दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 125 के तहत कार्यवाही में, न्यायालय के लिए यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि कौन गलत था और पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के छोटे विवरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ऐसा है, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता–पत्नी और उत्तरवादी के बीच विवाद की पेचीदगियों में

जाना तथा यह टिप्पणी करना सही नहीं था कि अपीलकर्ता–पत्नी अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह भरण–पोषण पाने की हकदार नहीं थी।उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का अवलोकन अपीलार्थी–पत्नी के साक्ष्य तथा परिवार न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों की अनदेखी करता है।"

22. प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधि के अवलोकन से, इस न्यायालय को उत्तरवादी /पत्नी को भरण–पोषण देने वाले विद्वान पारिवारिक न्यायालय के तर्कपूर्ण निष्कर्षों को बदलने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला है तथा आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

23. परिणामस्वरूप, दाण्डिक पुनरीक्षण में सार का अभाव है तथा तदानुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही/–

(रवींद्र कुमार अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur